यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V, राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री रवि भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 28.07.2018 से 06.08.2018 तक श्री एन.के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सुश्री सरूनी शर्मा व.ले.प द्वारा दिनांक 26.07.2017 से 03.08.2017 तक श्री नवीन शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	10293.45
2016-17	14005.10
2017-18	11421.19

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2015-16	-	-	1567.0	1509.00	57.95	-
2016-17	-	-	1262.14	1163.68	98.45	-
2017-18	-	-	1434.35	1398.19	36.16	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव-वित्त -आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर - डिप्टी कमिश्नर - सहायक आयुक्त- राज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V, राज्य कर, देहरादून** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V, राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्वः माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह 05/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(क)

प्रस्तर स-01 कर का न्यूनारोपण ₹101.53 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(e) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसुची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनयम, 2005 की धारा 2(21) के प्रावधानों के अनुसार् विनिर्माण से ऐसे कार्यकलाप अभिप्रेत हे जो किसी वस्तु में कोई परिवर्तन लाता है या जिसके परिणाम स्वरूप किसी नयी और भिन्न वस्तु, जैसा कि व्यवसायिक भाषा में समझा जाता है, में रूपांतरण हो जाता है, और इसमें किसी माल का उत्पादन करना,बनाना ,खनन , संग्रहण, निस्करसन, परिवर्तन, अलंकरण, परिरुपन, सयोजन या अंन्यथा प्रसंस्करण, शोधन या अनुकूलन भी सम्मिलित है, किन्तु इसके अंतर्गत विनिर्माण की कोई ऐसी प्रक्रिया या पद्धति जो विहित की जाये समिल्लित नहीं होगी.

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –V, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री एलेक्स पैनल , देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2013-14 व व्यौहारी सर्वश्री स्पेक्ट्रम मेटल प्रोफाइल्स, देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा क्रमशः ₹ 95,38,374/- (7858208+1528094+152072) की "Aluminium Composite Panel" व ₹ 10,99,14,498/-(99592765+223290+10098442) की "स्वनिर्मित कलर कोटेड शीट" की बिक्री 5% की दर से की गयी थी|

क्योंकि उपरोक्त वस्तु "Aluminium Composite Panel" एवं "स्वनिर्मित कलर कोटेड शीट" उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम -2005 के किसी भी अनुसुची से आछादित नहीं थी, अत: उक्त बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा| इस प्रकार उपरोक्त वस्तुओ की कुल बिक्री ₹ 11,94,52,872/- पर अन्तरीय दर 8.5% की दर से ₹ 1,01,53,494/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा| साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर "Aluminium Composite panel" के सम्बंध में बताया गया कि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम -2005 की अनुसुची II(b) की प्रविष्टी संख्या 10 " Aluminium, Aluminium alloy and their products" से आछादित है जिस पर नियामानुसार कर आरोपित किया गया है| विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि Aluminum Composite Panel प्रविष्टी संख्या 10 [Aluminium, Aluminium alloy, their products (excluding extrusion)] से आछादित नहीं है क्योंकि Alluminium Composite panel न तो पूरी तरह Metal है, न ही पूरी तरह non-metal है | यह metal एवं non-metal (Plastic) का सयोंजन(Combination) है जिसमें की दो alluminium sheet (coil) के बीच में LDPE/HDPE Plastic Sheet(नॉन-टॉक्सिक पॉलिथीन कोर) को adhesive material के द्वारा दोनों साइड से चिपकाया (affixed)

जाता है| इसे बेहतर दिखाने के लिए इस पर primer लगाने के बाद कलर कोटिंग की जाती है|

अत: यह वस्तु उपरोक्त प्रविष्टी संख्या 10 से अच्छादित नहीं है एवं अवर्गीकृत की श्रेणी में आती है|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा "कलर कोटेड शीट" के सम्बंध में बताया गया कि ऑडिट द्वारा इंगित वस्तु "कलर कोटेड शीट" C.S.T Act 1956 की धारा-14 के अंतर्गत (iv) पर वर्णित (iv) steel bar (round, rods, squares, flats, sheets etc) से आछादित है अत: उक्त वस्तु पर कर की दर 5% निर्धारित है| विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यापारी द्वारा जिस वस्तु की बिक्री की जा रही थी वह अंतिम उत्पाद के रूप में 'कलर कोटेड टाइल्स ' थी , जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 14 से आच्छादित नही थी |

अत: उक्त प्रकरण शासन संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर स-01 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 7.65 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यौहारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –V राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 01 व्यापारी द्वारा विभिन माहों में देय कर की कुल राशि ₹ 7650000/- को विलंब से जमा किया गया था|

क्र स.	**व्योव्हारी का नाम / टिन स.**	**कर निर्धारण वर्ष**	**माह**	**कर जमा करने की तिथि**	**कर की धनराशि (Rs)**	**आरोपनीय अर्थदण्ड (Rs)**
1.	**सर्वश्री पी० पैराडाइस ऑटो सेल्स देहरादून टिन:** 05009018794	2013-14	04/2013	24.08.2013	400000	40000
			04/2013	19.08.2013	800000	80000
			05/2013	23.08.2013	500000	50000
			05/2013	29.08.2013	700000	70000
			06/2013	30.08.2013	500000	50000
			06/2013	20.09.2013	400000	40000
			07/2013	30.09.2013	550000	55000
			08/2013	07.10.2013	1300000	130000
			08/2013	07.10.2013	900000	90000
			10/2013	28.11.2013	300000	30000
			10/2013	28.11.2013	600000	60000
			10/2013	28.11.2013	700000	70000
TOTAL					**7650000**	**765000**

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से ₹7,65,000/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी से युक्ति युक्त कारण जाना जायेगा एवं लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा|

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
38/2008-09	01	02	-
36/2009-10	01	01,02,04,05	-
01/2013-14	-	02,04,06	-
41/2014-15	-	01,02,03	-
20/2015-16	-	01,01,02,03,04	-
28/2016-17	01,02	01,02,03,04,05,06,07,08	-
46/2017-18	01	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	
	कोई नहीं			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V, राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	सुश्री मनीषा सैनी	डिप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V, राज्य कर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र